रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25092025-266399
CG-DL-E-25092025-266399

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4199] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 23, 2025/आश्विन 1, 1947
No. 4199] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 23, 2025/ASVINA 1, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 सितम्बर, 2025

का.आ. 4317(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से, राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-11 को कि.मी. 57.00 से कि.मी. 129.00 (झुंझुनू -चिड़ावा -हरियाणा -सीमा खण्ड) तक चार लेन बनाने / चौडीकरण करने हेतु उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गावों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारियों के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए एतद्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है

अनुसूची

राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-11 पर भूमि का अधिग्रहण

क्रमिक संख्या 1	सक्षम प्राधिकारी 2	भूमि का विवरण 3	राज्य 4	जिले का नाम 5	तालुक का नाम 6	गांव का नाम 7
1	उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH11	राजस्थान	झुंझुनूं	चिड़ावा	1 खेमू की ढाणी

		के कि.मी. 69.5 से कि.मी. 89 तक				2	धतरवालोःका बास
						3	निजामपुरा
2	उपखण्ड अधिकारी सुरजगढ	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH11 के कि.मी. 89 से कि.मी. 95.7 तक	राजस्थान	झुंझुनूं	सूरजगढ़	1	पिचानवा खुर्द
						2	तोला सेही
						3	ढांणी चौहान
3	उपखण्ड अधिकारी बुहाना	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH11 के कि.मी. 95.7 से कि.मी. 129 तक	राजस्थान	झुंझुनूं	बुहाना	1	माजरी पचेरी खुर्द
						2	नावता की ढांणी

[फा. सं. RW/JAI/RJ/CE-RO/NH-12012/2024-25/03]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd September, 2025

S.O. 4317(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, districts, taluk and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for upgradation/ widening to 4 lane of NH-11 from km 57.00 to km 129.00 (Jhunjhunu- Chirawa- Haryana Border Section) in the State of RAJASTHAN.

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No. 11 in the State of RAJASTHAN

Sl. No. 1	CALA 2	Stretch 3	State 4	District 5	Taluk/Mandal 6		Name of the Village 7
1	SDM Chirawa	NH11 KM. 69.5 TO KM. 89	RAJASTHAN	JHUNJHUNU	Chirawa	1	Khemu ki dhani
						2	Dhatarwalo ka bass
						3	Nijampura
2	SDM Surajgarh	NH11 KM. 89 TO KM. 95.7	RAJASTHAN	JHUNJHUNU	Surajgarh	1	Pichanwa Khurd
						2	Tola Sehi
						3	Dhani Chouhan
3	SDM Buhana	NH11 KM. 95.7 TO KM. 129	RAJASTHAN	JHUNJHUNU	Buhana	1	Majri Pacheri Khurd
						2	Nawta ki Dhani

[F. No. RW/JAI/RJ/CE-RO/NH-12012/2024-25/03]

SHAIKH AMINKHAN, Director

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA
Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA
Date: 2025.09.25 15:52:26 +05'30'